उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः — /VII-1-08/14–ख/2005
देहरादून : दिनांक: 03 जुलाई, 2008

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में खनिज आधारित उद्योग स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लवराईजर की स्थापना, संचालन की एकरूपता, समन्वित एवं सुनियोजित औद्योगिक विकास तथा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिनियमों के अधीन प्राप्त शक्तियों के आधार पर प्रख्यापित नियमावलियों तथा राज्य सरकार को प्राप्त अनुभव एवं खनिज आधारित उद्योगों को अनवरत कार्य करने में आ रही कठिनाईयों के समाधान हेतु पूर्व में जारी समस्त शासनादेशों एवं दिशा–निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लवराईजर अनुज्ञा नीति–2008 प्रख्यापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लवराईजर अनुज्ञा नीति–2008

1–उद्देश्य :

उत्तराखण्ड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लवराईजर अनुज्ञा नीति–2008 का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन की रोकथाम, प्रदेश के जन साधारण को प्रदूषण मुक्त वातावरण एवं इकाईयों को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु सुगम अवसर उपलब्ध कराना है।

यह नीति उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांटों एवं प्लवराईजरों पर लागू होगी।

2– स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर का स्थान :

(क) राष्ट्रीय/राज्य मार्ग/मुख्य जनपद मार्ग की चौड़ाई के मध्य से कम से कम 75 मीटर दूर स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर प्लांट स्थापित होना अनिवार्य है।

(ख) स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग/प्लवराईजर संयत्र (Equipment) परिसर की चार दीवारी (Boundary wall) से कम से कम 50 मीटर दूरी पर स्थापित होना चाहिए।

(ग) निकटतम स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर प्लांट/प्लवराईजर प्लांटस से बाद में स्थापित होने वाला स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर प्लांट पूर्व प्लांट से कम से कम 50 मीटर दूरी पर स्थापित किया जा सकेगा।

(घ) स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर नदी या नहर की सीमा से कम से कम 500 मीटर से दूर ऐसे स्थान पर स्थापित होना चाहिए जिससे कि स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर द्वारा खनिज अवैध रूप से प्राप्त कर अथवा अवैध खनन कर उपयोग किये जाने की संभावना न हो। इसका सत्यापन ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

परन्तु ऐसे स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर की स्थापना या संचालन राज्य सरकार के हित में होने की दशा में 500 मीटर की सीमा से कम दूरी पर राज्य सरकार से छूट प्राप्त कर स्थापित व संचालित किये जा सकेंगे।

3– स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर में कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन :

स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर कच्चा माल और तैयार माल के भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2005 में प्रतिबन्धों के अधीन करना होगा। जिसके अभिलेखों एवं भण्डारणों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4– स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर के स्वामी के दायित्व :

(1) धूल के कणों का उत्सर्जन को रोकने की विधि (Dust Extractors) या धूल के कणों को हवा में उड़ने से रोकने की विधि (Water sprinklers) का प्रभावी उपयोग स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर की उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।

(2) हवा के बहाव को रोकने हेतु दीवारों का निर्माण (Wind breaking wall) सभी धूल उत्सर्जन स्थानों पर करनी होगी।

(3) स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(4) स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर की सीमा के अन्दर सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल को हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव किये जाने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल के कण हवा में न उड़ सकें।

(5) स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर के चारों तरफ कम से कम तीन कतार में धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उसको संरक्षित करना होगा तथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी।

(6) धूल एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोग होने वाली विधियां एवं उपकरण इकाई मालिक द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर स्थापित करने होंगे। धूल एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण विधियों को स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर में अनवरत कार्यरत रखने की जिम्मेदारी स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर स्वामी की होगी।

5– स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/ प्लवराईजर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण :

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुपालन हेतु स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर में धूल उत्सर्जन (SPM) वायु गुणवत्ता, ध्वनि मापन मानकों के अनुसार मासिक रिपोर्ट एवं उपकरणों के रख–रखाव की रिपोर्ट प्रत्येक मास में स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर के स्वामियों द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या शासन द्वारा अधिकृत ऐजेन्सी को प्रस्तुत करनी होगी। जिसका परीक्षण उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या शासन द्वारा अधिकृत ऐजेन्सी द्वारा विश्लेषण एवं परीक्षण कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6– स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर अनुज्ञा की स्वीकृति :

इस नीति के उपरान्त प्रदेश में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से राज्य में स्थापित सभी स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर को सम्बन्धित विभागों को आख्याओं के आधार पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की संस्तुति के उपरान्त राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7– स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर अनुज्ञा का निरस्तीकरण :

यदि स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर द्वारा नीति में वर्णित प्रस्तरों/मानकों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है या आस–पास की आबादी द्वारा स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर के विरूद्ध प्रदूषण सम्बन्धी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो राज्य सरकार द्वारा स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर की अनुज्ञा जांच करवाकर तत्कालिक प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

8– दून वैली में कार्यरत स्क्रीनिंग प्लांट :

जनपद, देहरादून के दून वैली क्षेत्र में स्टोन क्रशर प्रदूषणयुक्त होने के कारण इस क्षेत्र में केवल स्क्रीनिंग प्लांट ही कार्यरत हैं जिनको जनहित में दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरण सम्बन्धी बिन्दुओं को लागू करते हुए, किन्तु प्रस्तर–2 में उल्लिखित प्रक्रिया में छूट प्रदान करते हुए रू0 05 (पांच) प्रति घनमीटर की दरों से निकासी पर क्षतिपूर्ति (Wastage charges) शुल्क रायल्टी के अतिरिक्त रूप में देय होगीं। ऐसे स्क्रीनिंग प्लांटों का रू0 01 (एक) लाख प्रति प्लांट के अनुसार धरोहर राशि के रूप में जिलाधिकारी देहरादून के पक्ष में बन्धक रखनी होगी।

9– स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर की पुनर्स्थापना :

राज्य में दून वैली में स्थापित स्क्रीनिंग प्लांटों को छोड़कर अन्यत्र स्थापित स्क्रीनिंग या स्टोन क्रशर जो नदी तल पर स्थापित है अथवा ऐसे स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट /प्लवराईजर जो ऐसे स्थानों पर अवस्थापित है जहां से खनिज अवैध रूप से प्राप्त कर अथवा अवैध खनन कर स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर में ले जाने की संभावना हो ऐसे स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर को तत्काल प्रभाव से छः (06) माह के अन्तर्गत नये स्थान पर पुनर्स्थापित (Relocate) करने या प्रस्तर–2 के अनुसार अनुमति प्राप्त करनी होगी।

नोट : राज्य में कार्यरत स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर को तत्काल प्रभाव से आगामी छः माह की अवधि के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित सुविधायें एवं मानक पूर्ण करने होंगे।

पी0सी0 शर्मा
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:252 (1)/VII-1-08/14–ख/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 औद्योगिक विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, उद्योग/भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
11. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
12. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।